

# 2024/39

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

काश्याम बनाम साबाल

प्रकरण संख्या :- 22/2024 2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/12/2024	<p>परावकी तहसीलदार आमेर के पत्रिका अ. अ. 1/2024 06 13. 09/01/2024 द्वारा प्रहामन गोपी के संग उमिशन का प्रत्युत्तरा/ शिपत्र उर्दी। चित्तर री। नहिम जादि री।</p> <p>परावकी वामे तमवी के दि. 13/12/2024 से पत्र री।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p>	
	13/12/2024	<p>परावकी पत्रिका साबाल गोपीमार अहिम। परावकी की अखलावन शिपत्रा/ जादी का प्रत्युत्तर तहसीलदार रिपी एवं उरनावन के आधार पर न्यायकित में लीमार विमा जास री। आदेश मुनाया गया। चित्तर आदेश प्रत्युत्तर से लिखा गया। परावकी केमल दुमार रीतर उर्दी नकर से रम री।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p>	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :- 22 / 2024

जीसीएमएस नं० :- 2024 / 39

उनवान :- कालूराम बनाम सरकार

::- आदेश ::-

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भूअ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गोंवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा०पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मानपुरा माचेडी की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 82 में खातेदार प्रार्थी कालूराम पुत्र भूरा का पता सा.कुण्ड की ढाणी के स्थान पर विक्रय पत्र रसीद संख्या 4478ए 4482 दिनांक 06.02.2003 के अनुसार सा.देह मानपुरा माचेडी शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

हुये। प्रधान

आर:

किया र



उपखण्ड अधिकारी  
आमेर जिला जयपुर